न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 39/2017 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2017/00285

उनवान

1. मोती पुत्र हरिया
2. गोपाल पुत्र स्व0 नेकराम
3. राजू पुत्र हरिया

जाति धीमर निवासी रूपवास तहसील रूपवास हाल निवासी सामरी तहसील बयाना जिला भरतपुर।

4. मुन्नी
5. गायत्री
6. विरमा

पुत्रीयान हरिया

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा कलक्टर, भरतपुर।
2. तहसीलदार, तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,रूपवास दिनांक 14.9.17 मि.नं. 16/2017 उनवानी मोती बनाम सरकार।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक श्री मोहन सिंह राणा उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक–25.04.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.09.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलाण्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 15, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2031/1249 रकवा 01.10 बीघा किस्म गैर मुमकिन खान वाके ग्राम रूपवास तहसील रूपवास में स्थित है। उक्त विवादित आराजी वादीगण/अपीलाण्ट के पूर्वज श्री चरनलाल बल्द नैनसुख जाति धीमर निवासी रूपवास के नाम गैर खातेदार के रूप में संवत

2016 से राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। चरनलाल की मृत्यु के पश्चात् संवत 2029–32 की जमाबन्दी में चरनलाल बल्द नैनसुख के वारिस हरिया बल्द सूखा के नाम उक्त आराजी का दाखिला खारिज गैर खातेदार के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। हरियाके स्वर्गवास हो जाने के बाद उसके वारिसान् वादीगण/अपीलाण्ट संख्या 01 लगायत 06 के नाम संवत 2049–52 की जमाबन्दी में वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार के रूप में दर्ज किये गये; तभी से आज तक बदस्तूर वादीगण/अपीलाण्ट के नाम गैर खातेदार के रूप में चले आ रहे हैं। वादीगण/अपीलाण्ट उक्त आराजी में सिंघाडा की फसल करते हैं। वादीगण/अपीलाण्ट को पटवारी हल्का ने बताया कि उक्त विवादित आराजीयात पर उनके नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज हैं, तो वादीगण/अपीलाण्ट ने पटवारी से विवादित आराजी पर खातेदारी दर्ज करने हेतु निवेदन किया। परन्तु वह साफ इंकारी हो गये। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी पर गैर खातेदारी के स्थान पर खातेदारी दर्ज करने एवं प्रतिवादीगण/रैस्पो0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश, अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कायदे कानून व रूयेदाद मिसिल होने के कारण, काबिल खारिजी है। विवादित आराजी अपीलाण्ट की पैतृक कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है जो उने पूर्वज चरनलाल को तत्कालीन मालिकान से संवत 2016 के आस–पास सिंघाडे डालने के लिये पट्टे पर मिली है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के समय एवं राज0 जमींदारी व विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के प्रभाव में आने के समय से यह भूमि अपीलाण्ट के पूर्वज चरनलाल पुत्र नैनसुख की वहैसियत पट्टेदार काश्तकार काश्त (सिंघाडा उगाने) में रही है। उक्त अधिनियमो की धारा क्रमशः 15 एवं 30 के प्रावधानो के अनुससार उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाण्ट ने सतत रूप से संवत 2016 से राजस्व अभिलेख(जमाबन्दी) प्रस्तुत की हैं जिनमें शुरू से चरनलाल व उसके बाद हरिया व अब अपीलाण्ट के नाम विवादित आराजी पर गैर खातेदारी के इन्द्राज चले आ रहे हैं। जिनसे यह पूर्णतया प्रमाणित है कि यह भूमि उनकी खातेदारी की आराजी है और इस पर उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हैं। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन खान लिखनें से अपीलाण्ट के प्रकरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है अपीलाण्ट विवादित भूमि पर गैर खातेदार तो पूर्व से दर्ज हैं ही हैं। गैरमुमकिन केवल लगान निर्धारित नहीं होने वाली भूमि पर होता है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों की ओर ध्यान दिये बिना, अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक का कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने आवण्टन को सिद्ध करने के लिए कोई आवण्टन आदेश अथवा आवण्टन कब हुआ कोई उल्लेख नही किया है। केवल दावें में उल्लेख एवं मौखिक कथन के आधार पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते हैं। विवादित भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन अंकित है एवं गैर मुमकिन भूमि पर खातेदारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि अनुरूप सही है। अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक कथनों की विवेचना की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट ने अपीलाधीन निर्णय को चुनौती देने योग्य, कोई नये तथ्य, तर्क अथवा साक्ष्य अपील में प्रस्तुत नही किये हैं। विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन दर्ज है। राज0 काश्त0 अधि0 की धारा 16 के तहत यह प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अथवा हस्तगत अपील में विवादित भूमि के आवंटन/ नियमन के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण, भूमि प्राप्ति का स्त्रोत पर्याप्त रूप से स्पष्ट नही किया है। मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलाण्ट/वादी को विवादित आराजी में अधिकार सृजित नहीं हो सकते। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.09.2017 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 25.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official